

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु०)-सीकर

सदर-
सज्जन सिंह वगै०

बनाम




गोपाल सिंह आदि

मु.नं०- 51 वर्ष 2019

दस्तावेज मुकदमा-

दावा

मु.नं०- 51 वर्ष 2019

दिनांक	आज्ञा पत्र	
19.04.2022	<p>पत्रावली प्रार्थी सज्जन सिंह के आवेदन पत्र बाबत मिसल तलवी पर आज पेशी से पूर्व पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर ने अपने पत्र क्रमांक भू०अ०/2022/1005 दिनांक 18.04.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया, जो शामिल पत्रावली किया गया।</p> <p>तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू०अ०/2022/1005 दिनांक 18.04.2022 पर वकील वादीगण को सुना गया। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 21.04.2022 को पेश हो।</p> <p align="right">  सहायक कलक्टर (मु०) सीकर </p>	
21.04.2022	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 33 बावजूद तामील के हाजिर नहीं आने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।</p> <p>इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.11.2019 की पालना में तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर ने अपने पत्र क्रमांक भू०अ०/2022/1005 दिनांक 18.04.2022 के द्वारा ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर स्थित भूमि खसरा न० 3310 रकबा 0.0600 है०, खसरा न० 3311 रकबा 1.6200 है०, खसरा न० 3312 रकबा 0.0100 है०, खसरा न० 3313 रकबा 0.4200 है०, खसरा न० 3314 रकबा 0.4200 है० कुल कित्ता 5 कुल रकबा 2.5300 है० के बाबत मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर मौके पर उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी के हस्ताक्षर है। सुनवाई के दौरान वकील वादीगण ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार प्रकरण में फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।</p> <p>हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू०अ०/2022/1005 दिनांक 18.04.2022 का अवलोकन किया। अतः प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू०अ०/2022/1005 दिनांक 18.04.2022 के अनुसार, वकील वादीगण की सहमति एवं गुणावगुण के आधार पर ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर स्थित भूमि खसरा न० 3310 रकबा 0.0600 है०, खसरा न० 3311 रकबा 1.6200 है०, खसरा न० 3312 रकबा 0.0100 है०, खसरा न० 3313 रकबा 0.4200 है०, खसरा न० 3314 रकबा 0.4200 है० कुल कित्ता 5 कुल रकबा 2.5300 है०के बाबत वाद वादीगण डिक्री किया जाकर अंतिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव इस निर्णय का भाग रहेगा। यदि बैंक का रहन है तो यथावत रहेगा। फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।</p> <p align="right">  सहायक कलक्टर (मु०) सीकर </p> <p>निर्णय आज दिनांक 21.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p align="right">  सहायक कलक्टर (मु०) सीकर </p>	